

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

संचिका सं०-०३/कृ०रा०यो०-०२/२०२०

२४

/कृ०, राँची, दिनांक-०७-०१-२०२१

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी.,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा - योजना -सह- वित्त विभाग (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार)

विषय - वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में राज्य योजनान्तर्गत नई योजना 'झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना' के क्रियान्वयन हेतु कुल २०००.०० करोड़ (दो हजार करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

झारखण्ड राज्य में लगभग ३८ लाख किसान हैं और लगभग ३८ लाख हे० भूमि पर खेती करते हैं। पिछले कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि राज्य में मानसून की स्थिति अनियमित रही है, जो कृषि एवं कृषक समुदाय को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। यह पाया गया है कि पिछले कई वर्षों के दौरान मानसूनी वर्षा में काफी विचलन भी हुआ है। वर्ष २०१७, २०१८ और २०१९ में मानसून के दौरान सामान्य वर्षा में क्रमशः -१३ प्रतिशत, -२७.८० प्रतिशत और -२०.९० प्रतिशत की कमी पायी गई है। राज्य की सामान्य वर्षा जून-सितम्बर की अवधि यानी खरीफ मौसम में १०२७.७ मिमी है। इसके साथ ही माहवार अनियमित वर्षा भी देखी जाती रही है। साथ ही राज्य में ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण भी फसल की काफी क्षति पाई जाती रही है।

राज्य में मानसून की ऐसी प्रवृत्ति न केवल बुआई को प्रभावित किया है, बल्कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार सूखे की घटना भी हो रही है। वर्ष २०१८ के दौरान १८ जिलों के १२९ प्रखंडों और वर्ष २०१९ के दौरान १० जिलों के १०७ प्रखंडों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया। यह स्थिति राज्य के वैसे कृषक समुदाय के समक्ष बहुत सारी चुनौती लेकर आयी, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन प्रभावित तो हुई ही है, साथ ही इसका सीधा असर किसानों के आय पर भी पड़ा है। इस कारण ऐसा पाया गया कि किसान बकाया फसली ऋण चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं, जिस कारण फसल ऋण खाते एनपीए (NPA) में परिवर्तित हो रहे हैं। बकाया ऋण राशि नहीं चुकाने के कारण कृषक नए फसल ऋण या अन्य ऋण के लिए अयोग्य होते जा रहे हैं। हाल के वर्षों के दौरान इस तरह की घटनाओं के कारण फसल ऋण का संवितरण भी प्रभावित हुआ है।

amb

br

राज्य के किसानों को दोहरे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पहला वे कर्ज की कमी के शिकार है और दूसरा कर्ज नहीं चुकाने के कारण उप पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। ये कारक उन्हें खेती से गैर कृषि गतिविधि के लिए राज्य से बाहर पलायन के लिए बाध्य कर रहे हैं।

इसलिए राज्य सरकार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था एवं आवश्यक नीति विकसित करने का संकल्प लिया है, जो कृषक समुदाय की ऋण समस्या को बहुत हद तक कम करने में मदद करेगा। उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना 'झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना, को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसका दायित्व इस योजना की रूपरेखा एवं आवश्यक नीति निर्धारण करना था। यह योजना कृषकों को नए फसल ऋण लेने, ऋण का बोझ कम करने में बहुत हद तक सार्थक सिद्ध होगा, साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था में एक नए ऊर्जा का प्रवाह भी करेगा।

2. राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस योजना के लिए निम्न अनुशंसाएँ की है :-

- इस योजना के लाभुक झारखण्ड राज्य के सभी रैयत/गैर रैयत होंगे, जो झारखण्ड राज्य स्थित किसी भी बैंक से फसल अल्पावधि ऋण (के0सी0सी0) लिए हो।
- इस योजना में 31.03.2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में रु0 50,000/- तक की बकाया राशि माफ की जाएगी।
- इस योजना का कार्यान्वयन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से होगा।
- इस योजना में एक परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा, जिसका सत्यापन किसी भी प्रकार के राशन कार्ड से किया जा सकेगा।
- आवेदन के लिए आवेदक से 1.00 रु0 सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त किया जाएगा।

3. प्रस्तावित नई योजना के स्वरूप, उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया, लाभुकों का चयन एवं अपवाद, बकाए ऋण माफी राशि का निर्धारण, इस संबंध में विभिन्न प्राधिकारों के दायित्वों का निर्धारण आदि का विस्तृत उल्लेख 'झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना' की प्रचालन मार्गनिर्देशिका में है, जो अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

4. वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल मो0- 2000.00 करोड़ रु. (दो हजार करोड़ रुपये) मात्र का बजटीय उपबंध है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि की निकासी निम्नांकित बजट शीर्षों से की जायेगी :-

(राशि करोड़ रु0 में)

क्र0	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-BI-कृषक ऋण माफी योजना, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी (01S240100796BI0652)	1200.00

Emb

by

28
07-01-2021

2	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-102-खाद्यान्न फसलें, उपशीर्ष-BI-कृषक ऋण माफी योजना, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी (01S240100102BI0652)	600.00
3	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-BI-कृषक ऋण माफी योजना, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी (01S240100789BI0652)	200.00
योग		2000.00

(दो हजार करोड़ रु. मात्र)

5. उक्त योजना की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची होंगे।
6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची होंगे।
7. राशि के सम्यक् एवं लाभकारी उपयोग के लिए कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची होंगे।
8. उक्त योजना का कियान्वयन 'झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना' की प्रचालन मार्गनिर्देशिका (छायाप्रति संलग्न) का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जाएगा। इस योजना के कियान्वयन के कम में आवश्यकतानुसार संशोधन/दिशा निर्देश विभागीय स्तर से किया जा सकेगा।
9. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
10. प्रस्ताव एवं झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना की प्रचालन मार्गनिर्देशिका प्रारूप पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।
11. प्रस्ताव एवं झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना की प्रचालन मार्गनिर्देशिका प्रारूप को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-23.12.2020 में मद सं0-61 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति दी गयी है।
12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-02/2020 28 /कृ0, राँची, दिनांक-07-01-2021
प्रतिलिपि- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-02/2020 28 /कृ0, राँची, दिनांक-07-01-2021
प्रतिलिपि- कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के आलावा स्वीकृत्यादेश की प्रति उनके ई-मेल आई0डी0-directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

(Handwritten signature)

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-02/2020

28

/कृ0, राँची, दिनांक-.....07-01-2021

प्रतिलिपि- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट/योजना शाखा-3, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-02/2020

28

/कृ0, राँची, दिनांक-.....07-01-2021

प्रतिलिपि- सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग/समन्वयक, SLBC, झारखण्ड, राँची को प्रचालन मार्गनिर्देशिका की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

Enus

झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना

Copy right@ Department of Agriculture, AH & Cooperative 2020

Copy right@ Department of Agriculture, AH & Cooperative 2020



झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना

प्रचालन मार्गनिर्देशिका

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
नेपाल हाऊस, झारखण्ड, राँची

अनुसूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ
1	परिचय	0 2
2	राज्य में फसली ऋण की स्थिति	03
3	योजना का उद्देश्य	0 3
4	योजना की मुख्य विशेषताएँ	03
5	योजना के संचालन के लिए तकनीक को अपनाया जाना	04
6	कार्यान्वयन विभाग	04
7	कार्यान्वयन एजेंसी	04
8	अनुश्रवण एवं समन्वय समिति तथा नोडल अधिकारी	05-06
9	योजना का प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता	06-07
10	किसानों का आच्छादन, पात्रता एवं अपवाद	07-08
11	बैंको के लिए पात्रता मानदण्ड, ऋण की अवधि, योजना के तहत बकाया राशि	08
12	बहिष्करण की शर्तें (Exclusion Criteria)	08
13	ऋणी द्वारा यू0आई0डी0 (आधार) प्रदान करना	08-09
14	योजना कार्यान्वयन की मानक प्रक्रिया (SOP)/संचालन तंत्र	09-11
15	ऑनलाईन शिकायत प्रबंधन प्रणाली	11-12
16	निधि प्रबंधन	12
17	योजना के लिए बैंको की नामित	12
18	योजना पोर्टल के प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर विकास और प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं श्रमशक्ति	13
19	पीएफएमएस पोर्टल योजना बोर्डिंग	13-14
20	बैंको एवं कॉमन सर्विस सेंटर की भूमिका	14
21	योजना के तहत विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ	14-18
22	नोडल पदाधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ	18-19

Handwritten signature

Handwritten initials

पृष्ठभूमि :-

राज्य में लगभग 38 लाख किसान है और लगभग 38 लाख हे० भूमि पर खेती करते है।

पिछले कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि राज्य में मानसून की स्थिति अनियमित रही है, जो कृषि एवं कृषक समुदाय को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। यह पाया गया है कि पिछले कई वर्षों के दौरान मानसूनी वर्षा में काफी विचलन भी हुआ है। वर्ष 2017, 2018 और 2019 में मानसून के दौरान सामान्य वर्षा में क्रमशः -13 प्रतिशत, -27.80 प्रतिशत और -20.90 प्रतिशत की कमी पायी गई है। राज्य की सामान्य वर्षा जून-सितम्बर की अवधि यानी खरीफ मौसम में 1027.7 मिमी है। इसके साथ ही माहवार अनियमित वर्षा भी देखी जाती रही है। साथ ही राज्य में ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण भी फसल की काफी क्षति पाई जाती रही है।

राज्य में मानसून की ऐसी प्रवृत्ति न केवल बुआई को प्रभावित किया है, बल्कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार सूखे की घटना भी हो रही है। वर्ष 2018 के दौरान 18 जिलों के 129 प्रखंडों और वर्ष 2019 के दौरान 10 जिलों के 107 प्रखंडों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया। यह स्थिति राज्य के वैसे कृषक समुदाय के समक्ष बहुत सारी चुनौती लेकर आयी, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन प्रभावित तो हुई ही है, साथ ही इसका सीधा असर किसानों के आय पर भी पड़ा है। इस कारण ऐसा पाया गया कि किसान बकाया फसली ऋण चुकाने में असमर्थ हो रहे है, जिस कारण फसल ऋण खाते एनपीए में परिवर्तित हो रहे है। बकाया ऋण राशि नहीं चुकाने के कारण कृषक नए फसल ऋण या अन्य ऋण के लिए अयोग्य होते जा रहे है। हाल के वर्षों के दौरान इस तरह की घटनाओं के कारण फसल ऋण का संवितरण भी प्रभावित हुआ है।

राज्य के किसानों को दोहरे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पहला वे कर्ज की कमी के शिकार है और दूसरा कर्ज नहीं चुकाने के कारण उन पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। ये कारक उन्हें खेती से गैर कृषि गतिविधि के लिए राज्य से बाहर पलायन के लिए बाध्य कर रहे है।

इसलिए राज्य सरकार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था एवं आवश्यक नीति विकसित करने का संकल्प लिया है, जो कृषक समुदाय की ऋण समस्या को बहुत हद तक कम करने में मदद करेगा। उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना 'झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना, को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया, जो कि इस योजना की रूपरेखा एवं आवश्यक नीति निर्धारित करेगी। उक्त समिति के अनुशंसा के आलोक में इस योजना की मार्गदर्शिका तैयार की गई है। यह योजना कृषकों को नए फसल ऋण लेने, ऋण का बोझ कम करने में बहुत हद तक सार्थक सिद्ध होगा, साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था में एक नए ऊर्जा का प्रवाह भी करेगा।

2. राज्य में बकाये फसल ऋण की स्थिति :-

SLBC के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक राज्य के लगभग 12.93 लाख अल्पावधि फसल ऋण खाते हैं तथा लगभग 5800 करोड़ रु0 का ऋण बकाया है। यद्यपि 12.93 लाख खातों में से लगभग 9.07 लाख खाते मानक खाते हैं और शेष या तो NPA खाते हैं या Write-off खाते हैं।

3. योजना के मुख्य उद्देश्य :-

प्रस्तावित योजना का उद्देश्य झारखण्ड राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक कृषक को ऋण के बोझ से राहत देना है। योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना।
- नये फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- कृषक समुदाय के पलायन को रोकना।
- कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना।

4. योजना की मुख्य विशेषताएँ :-

- 9 लाख से ज्यादा मानक फसल ऋण धारक लाभान्वित होंगे।
- 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
- 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50000/- रुपये तक के बकाया राशि माफ किये जायेंगे।
- योजना वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कार्यान्वित की जायेगी।
- ऑनलाइन क्रियान्वयन से आवेदक तथा पदाधिकारियों के बीच कम से कम सम्पर्क होगा।
- आवेदक के आधार संख्या के प्रयोग से सही लाभुकों की पहचान तथा कागज रहित आवेदन प्रक्रिया।
- आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।
- कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जिससे आवेदकों को उनके घर के पास ही योजना की सुविधा उपलब्ध करना।
- DBT के माध्यम से बकाया ऋण की अदायगी।
- ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों के शिकायतों का निवारण।

5. योजना के संचालन के लिए तकनीक को अपनाया जाना:-

- योजना के कार्यान्वयन तथा संचालन में प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना को विकसित किया जा रहा है। इससे समस्त हितधारकों जैसे किसान, राज्य तथा बैंकों के बीच बेहतर प्रशासन तथा समन्वय के साथ-साथ अद्यतन सूचनाओं का प्रसार एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- पोर्टल का सफल संचालन विभिन्न हितधारकों द्वारा अपनी-अपनी भूमिका तथा सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा।
- योजना के संचालन के लिए सभी हितधारकों की पोर्टल पर सम्बंधित मोड्यूल तक पहुँच, भूमिका व उत्तरदायित्व निर्धारित होगी। प्रत्येक हितधारक हेतु मोड्यूल के दिशा-निर्देश का विवरण पोर्टल पर ही सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध होगा।
- पोर्टल पर सभी हितधारकों जैसे राज्य सरकार, बैंक तथा संबंधित सरकारी कर्मों हेतु विशेष रूप से सुरक्षित क्रेडेंशियल/Login ID प्रदान किया जायेगा ताकि उनके द्वारा अपेक्षित सूचनाओं की प्रविष्टि/अपलोड/डाउनलोड की जा सके।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदक वही होंगे, जिनकी जानकारी Scheme Portal पर अपलोड की गयी है।
- योजना के वेब पोर्टल पर ऋणधारकों के नाम, मोबाइल नंबर, ऋण खाता की जानकारी, किसान क्रेडिट कार्ड नंबर, बकाया राशि की जानकारी अपलोड की जायेगी।

6. कार्यान्वयन विभाग:-

यह योजना मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों यथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, योजना-सह-वित्त विभाग, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग के साथ-साथ अन्य केन्द्रीय एजेंसी, यथा सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र (NIC), प्रज्ञा केंद्र (CSC), PFMS, NPCI एवं अन्य संबंधित सरकारी संस्थानों का भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

7. कार्यान्वयन एजेंसी:-

राज्य में इस योजना का कार्यान्वयन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा कृषि निदेशालय, झारखण्ड के माध्यम से किया जायेगा। कृषि निदेशालय, झारखण्ड राँची इस योजना के लिए नोडल एजेंसी होगा। कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची इस योजना के राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी (SNO) होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सहयोगी कार्यान्वयन विभागों से संबंधित सभी निदेशालय इस योजना के नोडल एजेंसी के साथ सहयोग करेगी।

8. अनुश्रवण एवं समन्वय समिति तथा नोडल अधिकारी:-

इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन, अनुश्रवण, समन्वय और सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए तीन स्तर पर समिति का निम्नवत् गठन किया गया है:-

(क) राज्य स्तरीय समिति (SLC):-

योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समिति (SLC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र०	राज्य स्तरीय समिति के सदस्य	भूमिका
1	माननीय विभागीय मंत्री	अध्यक्ष
2	विकास आयुक्त	सदस्य
3	सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	सदस्य
4	सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग	सदस्य
5	सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	सदस्य
6	कृषि निदेशक,	सदस्य-सह-नोडल पदाधिकारी (SNO)
7	समन्वयक, SLBC	सदस्य
8	राज्य सूचना पदाधिकारी (SIO), NIC	सदस्य

(ख) जिला स्तरीय समिति (DLC) :-

योजना के सुचारु कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली एक जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र०	राज्य स्तरीय समिति के सदस्य	भूमिका
1	उपायुक्त (DC)	अध्यक्ष
2	अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता (ADC/AC)	सदस्य
3	जिला कृषि पदाधिकारी (DAO)	सदस्य-सह-जिला नोडल पदाधिकारी (DNO)
4	जिला अग्रणी प्रबंधक (LDM)	सदस्य
5	उप महाप्रबंधक (DDM), नाबार्ड	सदस्य
6	बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
7	जिला सूचना पदाधिकारी (DIO)	सदस्य
8	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	सदस्य

Ench

hvj

(ग) विभागीय कार्यकारी समिति (DEC):-

योजना के सुचारु रूप से कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभाग स्तर पर विभागीय कार्यवाही समिति (DEC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र०	समिति के पदाधिकारी	भूमिका
1	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखण्ड, राँची	अध्यक्ष
2	संबंधित विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव	सदस्य सचिव
3	निदेशक कृषि झारखण्ड, राँची	राज्य नोडल पदाधिकारी (SNO)
4	अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित व्यक्ति/पदाधिकारी	सदस्य

9. योजना का प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता:-

इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार राज्य सरकार के द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (IPRD) के माध्यम से राज्य, जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, होर्डिंग, बैनर, हैण्ड बिल, SMS, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से लगातार किया जायेगा। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यशाला/सेमिनार/जागरूकता अभियान इत्यादि का भी आयोजन किया जायेगा।

जिलों के सभी गाँवों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। योजना को लागू करने में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, किसान मेले, प्रदर्शनियों, एसएमएस, लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों आदि सभी संभव साधनों का उपयोग कृषकों के बीच योजना के प्रावधानों और लाभों के बारे में जागरूकता तथा प्रचार-प्रसार करने के लिए किया जायेगा।

निदेशक कृषि झारखण्ड, राँची जागरूकता और प्रचार सामग्री के लिए सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (IPRD) के साथ मिलकर उचित कार्य-योजना तैयार करेंगे। IPRD अभियान के सभी साधनों के लिए डिजाइन विकसित करेगी।

जिला स्तर पर उपायुक्त जिले में जागरूकता और प्रचार कार्य का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकता के आधार पर उपायुक्त जिले में अभियान के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए किसी एक जिला स्तरीय अधिकारी को नामित भी कर सकते हैं। इस संबंध में प्रेस सम्मेलन आयोजित करेंगे।

IPRD द्वारा तैयार किया हुआ पोस्टर और पत्रक जैसी प्रचार सामग्री का प्रारूप राज्य नोडल पदाधिकारी के द्वारा जिलों के नोडल पदाधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा।

प्रचार-प्रसार सामग्री की संख्या, साईज, प्रकार, प्रदर्शन स्थान इत्यादि के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा। पोस्टर और पत्रक के मुद्रण एवं प्रेषण हेतु अलग से दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा। साथ ही प्रचार सामग्री लगाने/चिपकाए जाने तथा मुद्रण कार्य में व्यय के दरों का निर्धारण इस योजना के नोडल एजेन्सी के द्वारा किया जाएगा और इसे अलग से जिलों को संसूचित किया जाएगा।

(नोट: किसी भी महामारी या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रचार और जागरूकता अभियान और उसकी रिपोर्टिंग को नोडल विभाग/नोडल एजेंसी द्वारा पुनर्निर्धारित किया जा सकता है या प्रचार के वैकल्पिक मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। प्रचार की वैकल्पिक व्यवस्था बड़ी संख्या में एसएमएस, सोशल मिडिया, ऑडियो विजुअल टूल्स और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली की पारंपरिक विधि, समाचार पत्र आदि के रूप में हो सकता है।)

कोई भी फसल ऋण धारक योजना के बारे में जानकारी और प्रचार के लिए अथवा अन्य किसी सहायता हेतु वेब साइट, कॉमन सर्विस सेंटर/LAMPS/PACS, ग्राम सभा या किसी भी अन्य संबंधित अधिकारियों से विवरण प्राप्त कर सकते हैं या वे मुख्यमंत्री किसान सहायता कोषांग के हेल्पलाइन नंबर (लैंडलाइन 0651-2490542/मोबाइल-7632996429) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

10. किसानों के आवेदन, पात्रता एवं अपवाद :-

इस योजना के लाभुक निम्नानुसार होंगे :-

- रैयत - किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं
- गैर-रैयत - किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं।
- किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान के पास वैध आधार नम्बर होना चाहिए।
- एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे
- आवेदक मान्य राशन कार्डधारक होने चाहिए
- आवेदक किसान क्रेडिट कार्डधारक होने चाहिए
- आवेदक मानक अल्पावधि फसल ऋणधारक होने चाहिए
- फसल ऋण झारखण्ड में स्थित अर्हताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए
- आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए
- दिवंगत ऋणधारक का परिवार
- यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी।

अपवाद की शर्तें:-

निम्न श्रेणी के ऋणधारक इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे:-

- राज्य सभा/लोक सभा/विधान सभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य/राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री/नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष/जिला परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष
- केन्द्र या राज्य, विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई/राज्य सरकार के मंत्रालय/PSE एवं सम्बद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी (Multitasking Staff/Group-IV/Group-D के कर्मी को छोड़कर)
- सभी Superannuated/सेवानिवृत्त पेंशनधारी जिनका मासिक पेंशन 10,000/- रूपया या अधिक है। (Multitasking Staff/Group-IV/Group-D के कर्मी को छोड़कर),
- गत निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2020-21 में आयकर देनेवाले सभी व्यक्ति।
- Professionals जैसे-सभी निबंधित डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं।

11. बैंको के लिए पात्रता, मानदंड, बकाया ऋण एवं समय सीमा का निर्धारण, पात्र ऋण खाता एवं अपवाद:

- अर्हताधारी बैंक - वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक
- अर्हताधारी ऋण - अल्पावधि फसल ऋण (KCC ऋण)
- संवितरण की पात्र अवधि - दिनांक 31.03.2020 तक
- अर्हताधारी ऋण खाता - एकल एवं संयुक्त
- फसल में लगे रोग हेतु लिए गए ऋण

12. बहिष्करण (Exclusion) की शर्तें :-

- किसी संस्था द्वारा लिया गया फसल ऋण
- स्वयं सहायता समुह/किसान उत्पादकता संघ/किसान समुह द्वारा लिया गया फसल ऋण
- किसी प्रकार का कृषि सावधि ऋण

13. फसल ऋणधारक द्वारा यूआईडी (आधार) प्रदान करना:

- सरकार की योजनाओं के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार नम्बर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त आधार नम्बर योजना के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता लाने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से भुगतान जारी करने में मदद करता है। वर्तमान में अधिकांश योजनाओं में आधार का उपयोग किया जाता

है। इसलिए इस योजना के तहत क्षतिपूर्ति के लिए आधार को अनिवार्य किया जाएगा। पात्र किसान स्व-घोषणा पत्र के माध्यम से अपने आधार का उपयोग करने की सहमति देंगे।

- आधार आईडी न रखने वाले किसान भी योजना के तहत नामांकन कर सकते हैं तथापि उनको आधार नम्बर के लिए अपने नामांकन का प्रमाण भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 334 दिनांक 8 फरवरी, 2017 के अंतर्गत आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
- अधिसूचना की प्रति योजना वेब पोर्टल पर अवलोकनार्थ अपलोड की जा सकती है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए और अन्य निर्देश भी मान्य होंगे।

14. योजना के क्रियान्वयन के मानक प्रक्रिया :-

यह योजना एसएलबीसी/बैंकों के समन्वय के साथ कार्यान्वित की जाएगी, इसलिए इस योजना के सफल कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी।

- a) बैंकों के स्तर से अपनायी जाने वाली प्रक्रिया : बैंक इस योजना के तहत विभिन्न उपयोग के लिए एक जगह पर डेटा उपलब्ध कराने के लिए पात्र फसल ऋणदाता का डेटा अपलोड करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगी एसएलबीसी की देखरेख में बैंक फसल ऋणदाता डेटा अपलोड करने के लिए SOP विकसित करेंगे और सरकार को प्रत्येक फसल ऋणदाता की प्रमाणित और सही जानकारी प्रदान करेंगे। फसल ऋण डाटा को भरने के लिए पोर्टल पर आवश्यक क्षेत्रों को बैंक एवं सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा।

फसल ऋणदाता डेटा की शुद्धता के लिए बैंक जिम्मेदार होंगे। सरकार प्रत्येक बैंक से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित डाटा प्राप्त करने के बाद ही आवश्यक प्रक्रिया करेगी।

प्रत्येक बैंक को सरकार की ओर से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित योजना पोर्टल पर फसल ऋणदाता का सही और प्रमाणित डेटा अपलोड करना है।

- b) NIC के द्वारा अपनायी जानेवाली प्रक्रिया:- एनआईसी सरकार के प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में काम करेगा। एनआईसी योजना के लिए वेब पोर्टल विकसित करेगा। यह पोर्टल इस तरह से विकसित किया जाएगा कि प्रत्येक बैंक एक समय में प्रत्येक शाखा से प्राप्त फसल ऋणदाता डेटा अपलोड कर सकेगा।

योजना पोर्टल पर बैंकों द्वारा फसल ऋण धारक डेटा अपलोड करने के बाद एनआईसी आम सेवा केंद्रों (सीएससी)/बैंक शाखाओं और सार्वजनिक उपयोग और आवेदन प्रक्रिया

के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य केंद्रों तक पोर्टल की ऑनलाइन पहुंच को सक्षम करेगा।

आवेदकों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :-

योजना को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अधिकारियों के साथ आवेदकों के लिए न्यूनतम संपर्क बिंदु होंगे और उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखेंगे। यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पर लागू होगी।

पात्र आवेदक को इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा :-

- क) इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र आवेदक को अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रति के साथ आम सेवा केंद्रों/बैंक शाखा में जाना होगा।
- ख) सीएससी/बैंक आवेदक को योजना पोर्टल पर उनके आधार नंबर का उपयोग करके उनकी बकाया ऋण राशि और अन्य विवरण देखने में मदद करेंगे।
- ग) आवेदक को अपना मोबाइल नंबर और योजना पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आधार और राशन कार्ड की प्रति देनी होगी।
- घ) एक बार आवेदक बकाया विवरण की पुष्टि कर देता है, उसे ई-केवाईसी (e-KYC) के माध्यम से अपने आवेदन को प्रमाणित करना होता है।
- ई) एक बार आवेदक ई-केवाईसी के माध्यम से अपने विवरण की पुष्टि करता है, उसका आवेदन आगे के सत्यापन और प्रसंस्करण के लिए योजना पोर्टल पर स्वचालित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।
- च) आवेदक को अपने आवेदन के सफल जमा होने पर एक टोकन नंबर या संदर्भ संख्या प्राप्त होगी। भविष्य के संदर्भ के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
- छ) आवेदक को आवेदन के लिए 1 रुपए (केवल एक रुपए) का भुगतान करना होगा।
- ज) आवेदक अपने मोबाइल नंबर पर भी आवेदन जमा करने की पुष्टि संदेश प्राप्त कर सकता है।
- प) आवेदक को सीएससी केंद्र पर शुल्क भुगतान के लिए रसीद दी जा सकती है।

आवेदन के उपरान्त अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :-

चूंकि इस योजना का लाभ एक परिवार के मात्र एक ही सदस्य को प्राप्त होना है, अतः इसके सत्यापन का आधार उक्त परिवार का राशन कार्ड (सभी प्रकार के) होगा। इस हेतु इस योजना के डाटाबेस को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साफ्टवेयर के साथ integrate किया जाएगा। यदि किसी आवेदक द्वारा समर्पित राशन कार्ड की इण्ट्री

पी0डी0एस0 साफ्टवेयर में नहीं होगी तो वैसे राशन कार्ड का सत्यापन निम्नानुसार किया जाएगा :-

- क) प्रस्तुत आवेदन को राशन कार्ड के सत्यापन के लिए संबंधित जिलों में जिला आपूर्ति पदाधिकारी लॉगिन खाते में भेज दिया जाएगा।
- ख) जिला आपूर्ति पदाधिकारी आवेदक के राशन कार्ड की वैधता की जांच, सत्यापन और अनुमोदन करेगा और इसे जिला नोडल अधिकारी (DNO) को अग्रसारित करेंगे।
- ग) DNO, एलडीएम या संबंधित बैंकों के साथ समन्वय में आवेदक के विवरण की जांच और सत्यापन करेगा और आवेदक को ऑनलाइन मंजूरी देगा और इसे उपायुक्त (डीसी) के लॉगिन पर भेज देंगे।
- घ) उपायुक्त आवेदक के विवरण की जांच कर सकते हैं और ऑनलाइन अनुमोदन के बाद, डेटा राज्य नोडल अधिकारी (SNO) को भेज दिया जाएगा और उसी समय डीएनओ और उपायुक्त संयुक्त रूप से FTO (Fund Transfer Order) Generate करेंगे और इसे SNO को ऑनलाइन अग्रसारित करेंगे।
- ङ.) एसएनओ डेटा की जांच करेगा और विधिवत अनुमोदन के बाद डेटा को पीएफएमएस पर आधार और बैंक खाते के विवरण के सत्यापन के लिए अपलोड किया जाएगा।
- च) PFMS सत्यापन के बाद, SNO पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से संबंधित खाते में निर्धारित माफी की राशि को लाभुक के ऋण खाते में जारी करने के लिए नोडल बैंक को निधि संवितरण का सलाह देंगे।
- छ) नोडल बैंक SNO को वास्तविक समय MIS रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- ज) एसएनओ public view के लिए वेब पोर्टल पर आवेदक विवरण के साथ संवितरण रिपोर्ट अपलोड करेगा।
- झ) आवेदक अपने आधार संख्या या संदर्भ संख्या का उपयोग करके वेब पोर्टल से संवितरण का प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

नोट:- राज्य सरकार योजना के कार्यान्वयन में तकनीकी प्रगति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, योजना को लागू करने के लिए स्थिति और समय की आवश्यकता के आधार पर, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड की वैकल्पिक विधि का पालन किया जा सकता है। जब तक वेब पोर्टल पूरी तरह से ऑफलाइन अनुप्रयोग हेतु विकसित नहीं हो जाता है (अनु0-1 पर संलग्न प्रपत्र-A/क) का उपयोग किया जा सकता है।

15. ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली :-

किसी भी योजना की सफलता के लिए शिकायत प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कारक है और शिकायत का समय पर समाधान सरकार के लिए आवेदक और जनता के बीच विश्वास लाता है। इसलिए, आवेदकों की शिकायतों के समाधान के लिए एनआईसी द्वारा एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी।

इस ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली के तहत, आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने के दौरान जारी किए गए टोकन नंबर के अपने संदर्भ संख्या का उपयोग करके अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। शिकायत डीएनओ लॉगिन को प्रस्तुत की जाएगी और उसे शिकायत प्राप्त होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर शिकायत को अनिवार्य रूप से निष्पादन करना होगा।

यदि शिकायत का समाधान जिला नोडल पदाधिकारी (DNO) से नहीं हो पाता है तो राज्य नोडल पदाधिकारी (SNO) अगले तीन कार्य दिवस के अन्दर में विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इसका समाधान करेगा।

16. निधि प्रबंधन :

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के लिए 2000.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा नोडल एजेंसी को वांछित निधि को मंजूरी देगा। योजना के कार्यान्वयन एवं आवंटित राशि के विचलन के लिए नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निधि को संधारित करने के लिए नोडल अधिकारी एक सक्षम बैंक की नियुक्ति करेगा। नोडल अधिकारी इस योजना के लिए नियत बैंक में दो अलग-अलग बैंक खाते खोलेगा:-

क) Scheme Account

ख) Admin Account

Scheme Account में वैसी धनराशि जमा की जाएगी जो जिससे ऋण माफी का कार्य किया जाएगा तथा Admin Account में वह राशि जमा की जाएगी जिससे प्रशासनिक व्यय किया जाएगा और आवंटन के बाद ऋण की राशि के संवितरण के लिए उपयोग किया जाएगा।

डीएनओ और डीसी द्वारा संयुक्त रूप से उत्पन्न फंड ट्रांसफर ऑर्डर के आधार पर ऋण की राशि को नोडल अधिकारी द्वारा केंद्रीय रूप से वितरित की जाएगी।

नोडल अधिकारी विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए व्यवस्थापक (Admin Account) खाते में कुल बजट का 0.75% निधि जमा करेगा, जैसे- जागरूकता और प्रचार अभियान, पीएफएमएस उपयोग के लिए जिला अधिकारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, सॉफ्टवेयर विकास, वेतन और एनआईसी में लगे सॉफ्टवेयर डेवलपर को वेतन, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि।

17. योजना के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल बैंक होगा :-

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य नोडल अधिकारी एक नोडल बैंक का चयन करेंगे, चयन करने में ऐसे बैंको को प्राथमिकता दी जाएगी जो कि कृषि ऋण के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किए हो। पीएफएमएस पोर्टल का उपयोग करते हुए बैंक को फंड प्रबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया को संभालने में सक्षम होना चाहिए और बैंक नोडल अधिकारी को हर समय सेवा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

18. योजना पोर्टल के लिए सॉफ्टवेयर विकास और प्रौद्योगिकी अवसंरचना और जनशक्ति (manpower) प्रबंधन :-

एनआईसी जो राज्य स्तरीय समिति का सदस्य भी है, इस योजना के कार्यान्वयन में पोर्टल से संबंधित आवश्यक बुनियादी ढांचा, मैन पावर, स्कीम पोर्टल का प्रबंधन एवं पोर्टल की निगरानी के लिए आवश्यक कार्य करेगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पहले से मौजूद मैन पावर, आधारभूत संरचना, इत्यादि का उपयोग कर सकता है।

नोडल अधिकारी, एनआईसी/जैप आईटी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस कार्य हेतु नियुक्त manpower को उनकी सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति वेतन की अधिसूचित दरों के अनुसार wages/salary का भुगतान सुनिश्चित करेगा।

JAPIT योजना पोर्टल के लिए एनआईसी को आवश्यक सॉफ्टवेयर और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करेगा। JAP IT निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार लागत आवश्यकता और व्यय के लिए सीधे नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करेगा।

एनआईसी, सॉफ्टवेयर के समुचित कार्य के लिए नोडल एजेंसी को आवश्यक सलाह प्रदान करेगा और पोर्टल प्रबंधन के लिए जनहितकारी कार्य करेगा। एनआईसी पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और स्कीम पोर्टल की गोपनीयता और पोर्टल प्रबंधन किसी भी मुद्दे के उत्पन्न होने तक एनआईसी की देख-रेख में रहेगा। हालाँकि, स्कीम पोर्टल का owner इस योजना का नोडल एजेंसी होगा।

19. पीएफएमएस पोर्टल योजना बोर्डिंग :-

योजना को वेब पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा और सम्पूर्ण राशि का हस्तांतरण डीबीटी मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएंगे, इसलिए, योजना-सह-वित्त विभाग और एनआईसी, रांची के तहत राज्य PFMS के साथ समन्वय में राज्य नोडल पदाधिकारी ऑन-बोर्डिंग और एकीकरण के लिए व्यवस्था करेंगे।

राज्य पीएमयू, PMFS योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य भर में संबंधित हितधारकों को सभी सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, प्रक्रिया के मानक और आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

राज्य नोडल पदाधिकारी योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक दूसरे के बीच सूचनाओं के उचित आदान-प्रदान के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए राज्य पीएमयू, पीएफएमएस, एनआईसी और नोडल बैंक को सूचित करेंगे। पीएफएमएस, एनआईसी और नोडल बैंक संबंधित परिचालन के लिए उच्च स्तर का समन्वय सुनिश्चित करेंगे। किसी भी मुद्दे में राज्य नोडल पदाधिकारी हस्तक्षेप करेगा और जल्द से जल्द इस मामले का निष्पादन करेगा।

नोडल बैंक इस योजना के लिए अपने बैंकिंग संचालन के बोर्डिंग के लिए PFMS की परिचालन आवश्यकता को पूरा करना सुनिश्चित करेगा।

जैसा कि यह योजना एनआईसी और पीएफएमएस के साथ और वेब पोर्टल के माध्यम से समन्वय में लागू होगी, इसलिए ये सभी एजेंसियां सभी संबंधित हितधारकों के लिए

पहले से आवश्यक दिशा-निर्देश या एसओपी अच्छी तरह से प्रसारित करेंगी और दिशानिर्देशों में कोई भी संशोधन या परिवर्तन समय-समय पर शेयरधारकों के बीच भी किया जाना चाहिए। योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी भ्रम से बचें।

20. कॉमन सर्विस सेंटर/बैंकों की भूमिका :-

फसल ऋणदाता के द्वार पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए, इस योजना को लागू करने के लिए सीएससी केंद्रों/बैंक शाखाओं की सेवाओं को नोडल एजेंसी द्वारा लिया जाएगा। योजना वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगी और सीएससी केंद्रों/बैंक शाखा में उपलब्ध होगी। पात्र आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए अपने निकटतम सीएससी केंद्र/बैंक शाखा में आएंगे।

CSC और बैंक शाखाएं आवेदक के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए सुविधा की व्यवस्था करेंगी और आवेदक दस्तावेज की स्कैनिंग के लिए Adhaar प्रमाणीकरण डिवाइस और अन्य आवश्यक डिवाइस की भी व्यवस्था करेंगी और आवेदक के लिए e-KYC की भी व्यवस्था करेंगी

आवेदक को सीएससी केंद्र/बैंक शाखा में आवेदन करने के लिए 1/- रुपये (केवल एक रुपये) का भुगतान करना होगा और आवेदक को इसके लिए रसीद मिलेगी।

आवेदक को सेवा प्रदान करने के लिए सीएससी को सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। सीएससी का भुगतान किया जाने वाला सेवा शुल्क सीएससी के राज्य प्रमुख और राज्य नोडल अधिकारी द्वारा आपसी सहमति से संयुक्त रूप से तय किया जाएगा।

हालांकि, बैंक शाखाओं को ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई सेवा शुल्क नहीं मिलेगा।

21. Roles and Responsibilities of Various Stakeholders under this Scheme:

Besides above-mentioned procedures, the broad but not exhaustive list of roles and responsibilities of concerned stakeholders are given below:

S.No.	Name of the agency	Roles & Responsibilities
1	Nodal Department	<ul style="list-style-type: none"> Overall formulation, monitoring , Controlling & Implementation of the Scheme Fixing roles and responsibilities of scheme implementing agencies Obtaining necessary administrative, financial and operational approval from the Government Coordination between State Government and supporting departments Coordination between Nodal agency and District Administration

		<ul style="list-style-type: none"> Organizing SLC meetings and proposing recommendations Budgetary provisions, sanctions and allotment of fund Notification of District level Nodal officers Others, if any based-on request of Nodal Agency Taking actions against deviations from scheme guidelines
2	Supporting Departments	<ul style="list-style-type: none"> Extending support to the Nodal Department in Implementation of Scheme Directions to their field level agencies, offices & field functionaries to provide all support and carry out activities as per the laid down procedure for successful implementation of Scheme
3	Nodal Agency	<ul style="list-style-type: none"> Ensure successful implementation of the scheme Ensure strict compliance of guidelines of scheme Coordination with supporting implementing agencies for necessary activities Coordination with District level committee for proper implementation of Scheme Setting up State Control room with necessary infrastructure along with human resource. Remittances of fund
4	NIC	<ul style="list-style-type: none"> In coordination with Nodal agency and the Nodal department and supporting department development of Web portal. Necessary arrangement of technological infrastructure required in coordination with JAPIT/Department of Information Technology Coordination with other states or agencies for technological improvement in the web portal or addition and deletion of fields on web portal Advise and suggestions to Nodal Department, supporting departments, Nodal agencies, supporting agencies

Handwritten signature

Handwritten signature

		<p>from state to district level.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrangement of training programmes for IT related requirements of all level stakeholders • Arrangement of Video conferencing/online meeting for stakeholders • In case of pandemic issue, arrangement of alternative measures of meeting • Web portal Integration related matter with other agencies • Development of cyber security measures • Maintenance of web portal and amendments as per suggestion of Nodal agency • Integration of mass SMS facility for beneficiaries through web portal • Assistance to stakeholders in uploading of official contents, data, information, messages on web portal
5	State Level Bankers Committee/participating Bankers	<ul style="list-style-type: none"> • Active participation for implementation of Scheme • Guiding and providing necessary inputs to SLC for better decision making • Helping SLC and Nodal department/agency towards implementation of scheme in successful manner. • Coordination with all bankers in the state for smooth implementation of Scheme • Development of common portal for bankers for data compilation • Arrangement of necessary devices for e- KYC and scanning of documents etc during application of process • Ensure adhaar enabling of Crop Loan accounts • Time to time Intimation of RBI guidelines or GOI guidelines to SLC/Nodal agency • Reporting & Complaints management system in coordination with Nodal Agency /DLC
5	JAPIT	<ul style="list-style-type: none"> • Arrangement of necessary IT infrastructure to NIC. • Cost model for IT infrastructure in

One

by

		<p>coordination with IT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrangement of Data center with sufficient band width • Coordination with Nodal agency and other supporting agencies for necessary requirements
6	IPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Design and development of awareness and publicity materials like – TV bytes, advertisement, Poster, stickers, Hoardings, Wall painting, audio visuals etc • Ensure arrangement for clear and effective communication about scheme • Strategies for Awareness and publicity campaign • Coordination with Nodal agency and other supporting agencies for necessary operations related to mass communication
7	Civil Supplies Directorate	<ul style="list-style-type: none"> • Ensuring online validation of Ration card and forwarding applicant data to DNO • Any other work assigned by Nodal agency/ DLC
8	CSC	<ul style="list-style-type: none"> • Coordination with NIC and Nodal Agency for arrangement of application procedure on web portal& e- KYC • Daily report on application and applicants • Display & Distribution of publicity materials among farmers
9	Scheme Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure high level coordination among Nodal agency, NIC, PFMS and District Nodal officers • Ensure opening of desired bank account at state level and district level • Develop Daily MIS system for reporting on payment and receipts • Ensure digital signatures of all authorized officers for banking transactions • Obtaining list of authorized officers for banking transactions from Nodal agency • Arrangement of training and guidance programme for banking transaction in coordination with PFMS and NIC

Handwritten signature

Handwritten signature

10	PFMS	<ul style="list-style-type: none"> • Helping nodal agency for on boarding of Scheme • Arrangement of necessary training programme for all related stakeholders on use of PFMS operations for DBT • Integration of Web Portal in coordination with Nodal agency and NIC
----	------	---

22. Roles and Responsibilities of Committee:

S.No.	Committee	Roles & Responsibilities
1	SLC	<ul style="list-style-type: none"> • Administrative & Strategic support to Nodal Department & DLC • Overall review of Scheme Implementation process in the state • Recommendations to Government on amendments, if any • Directions on necessary Notifications, if required
2	DLC	<ul style="list-style-type: none"> • Overall review of Scheme implementation process in the District • Ensuring implementation of Scheme in Time bound manner • Robust functioning of online complaints management system • Implementation of Awareness & Publicity • Remittance of fund and banking operation • Coordination with all the stakeholders • Ensuring all the operations as per guideline in timebound manner
5	DEC	<ul style="list-style-type: none"> • Close monitoring and reviewing of Implementation process • Necessary recommendations to SLC on policy matters • Coordination between Nodal agency and SLC • Necessary support to Nodal agency for coordination among supporting department and agencies for necessary communication. • Guidance and support to Nodal agency on administrative and financial matters

1. Role and responsibilities of Nodal Officers:

S.No.	Nodal Officer	Roles & responsibilities
1	State Nodal Officer	<ul style="list-style-type: none"> • High level of coordination with District level nodal officer • Ensuring successful implementation of scheme in all the aspects. • Coordination with SLC members & DLC members

Signature

Signature

		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring of all activities as per guidelines • Coordination among all major stakeholders at Head quarter level • Arrangement of banking operations and remittances of fund • Creation of State Control room • Flow of information from top to bottom and bottom to top • Issue of instructions based on recommendations of SLC and Nodal Department • Reporting of all activities • Fast complaints management system • Maintenance of all records related to scheme and ensuring auditing of the same • Any other work assigned by SLC & Nodal department
2	District Nodal Officer	<ul style="list-style-type: none"> • Arrangement of timely meetings at District level • Reporting to State Nodal Officer and DLC • Robust strategies for implementation of Scheme in time bound manner • Flow of information from top to bottom and bottom to top • Banking operation and remittance of fund as per guidelines • Ensuring implementation of Scheme as per guidelines • Any other work assigned by State Nodal officer or DLC • Maintenance of all records related to Scheme
3	District Civil Supply Officer	<ul style="list-style-type: none"> • In coordination with DNO ensuring timely validation of Ration card of applicant • Time bound completion of work • Active participation at District level and extending necessary support to DLC and DNO

Copy

to